रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--22 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—22

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05112022-240051
CG-DL-W-05112022-240051

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5—नवम्बर 11, 2022 (कार्तिक 14, 1944)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5—NOVEMBER 11, 2022 (KARTIKA 14, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	949
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	953
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3349
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	10645
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	459
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	2899
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	949
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	953
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3349
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10645
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	459
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2899
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 2022

सं.9/5/2018-यू3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी के परामर्श से, किसी उच्च शिक्षण संस्था को समवत विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, ऑरोरा एजुकेशनल सोसाइटी, चिक्कड़पल्ली, हैदराबाद द्वारा 31.01.2019 को ऑरोरा उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, रामनाथपुर, हैदराबाद को डी-नोवो श्रेणी के तहत समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत निम्नलिखित 8 कॉलेज/संस्थाएं शामिल हैं:—

i. ऑरोरा पीजी कॉलेज (एमबीए), रामनाथपुर, हैदराबाद;

ii. ऑरोरा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान, उप्पल, हैदराबाद;

iii. ऑरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज, भोंगिर, यादाद्री;

iv. ऑरोरा पीजी कॉलेज (एमसीए), रामनाथपुर, हैदराबाद;

v. ऑरोरा पीजी कॉलेज (एमबीए), मूसारामबाग, हैदराबाद;

vi. ऑरोरा पीजी कॉलेज (एमसीए), मूसारामबाग, हैदराबाद;

vii. ऑरोरा डिग्री और पीजी कॉलेज, चिक्कड़पल्ली, हैदराबाद; तथा

viii. ऑरोरा विधि विज्ञान संस्थान, नलगोंडा

3. और जबकि, उक्त आवेदन को यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के तहत जांच एवं परामर्श हेतु दिनांक 08.03.2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को अग्रेषित किया गया था।

4. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह पता लगाने कि संस्थानों के पाठ्यक्रम ज्ञान के उभरते क्षेत्रों के अनुकूल हैं या नहीं और क्या वे डी-नोवो श्रेणी के तहत समवत विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए अर्हता पूरा करते हैं या नहीं के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने दस्तावेजों के अवलोकन के बाद सिफारिश की कि निम्नलिखित (02) संस्थान डी-नोवो श्रेणी के तहत समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:—

i. ऑरोरा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान, उप्पल, हैदराबाद – मुख्य परिसर के रूप में

ii. ऑरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज, भोंगिर, यादाद्री - एक ऑफ-कैंपस के रूप में

5. और जबकि, यूजीसी ने उपरोक्त संस्थानों के मौके पर मूल्यांकन हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के नामिति सहित एक अन्य समिति का गठन किया। यूजीसी की विजिटिंग कमेटी ने सिफारिश की थी कि निम्नलिखित 3 संस्थान डी-नोवो श्रेणी के तहत समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं:—

i. ऑरोरा पीजी कॉलेज, रामनाथपुर, हैदराबाद (केंद्रीय परिसर)

ii. ऑरोरा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान, उप्पल, हैदराबाद (मुख्य परिसर)

iii. ऑरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज, भोंगिर, जिला यादाद्री हैदराबाद एचएमडीए (ऑफ-कैंपस)

6. और इसके अतिरिक्त जबकि, आयोग ने 29.05.2020 को आयोजित अपनी 547वीं बैठक (मद संख्या 2.03) में यूजीसी विशेषज्ञ विजिटिंग समिति, एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति और एआईसीटीई के परामर्श से रिपोर्ट पर विचार किया और केवल 2 संस्थानों अर्थात् (i) ऑरोरा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान, उप्पल, (हैदराबाद) और (ii) ऑरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज भोंगीर, जिला यादाद्री (ऑफ कैंपस) को ऑरोरा उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी के नाम पर डी-नोवो श्रेणी के तहत समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश करने का निर्णय लिया। यह सिफारिश इस शर्त के अध्यधीन है कि संस्थान विनियमों की अधिसूचना के दो वर्षों के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

7. और जबकि, मंत्रालय द्वारा यूजीसी की सिफारिश पर विचारोपरांत यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच में कतिपय कमियों और प्रक्रियात्मक विसंगतियों के कारण 02.03.2022 को इसे खारिज कर दिया गया।

8. और जबकि, इस मंत्रालय के दिनांक 02.03.2022 के आदेश को ऑरोरा एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य द्वारा रिट याचिका संख्या 20862/2022 के माध्यम से हैदराबाद में माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। माननीय न्यायालय ने कहा कि ".....यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए दिनांक 02.03.2022 की आक्षेपित नोटिस को अगले आदेश तक स्थगित करना उचित है। काउंटर दाखिल करने के लिए 30.06.2022 निर्धारित की जाती है".

9. और इसके अतिरिक्त जबकि, सचिव, ऑरोरा एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद ने दिनांक 20.07.2022 के अपने पत्र के माध्यम से 'ऑरोरा उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी', रामनाथपुर, हैदराबाद के नाम पर डी-नोवो श्रेणी के तहत समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अभ्यावेदन किया है।

10. और जबकि, ऑरोरा एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद का अभ्यावेदन यूजीसी को उनके विशिष्ट परामर्श हेतु प्रेषित किया गया था। यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 41-2/2019 (सीपीपी -I दिनांक (डीयू/19.11.2022 के माध्यम से ऑरोरा एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद के अभ्यावेदन पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है :

i. केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ समिति और विशेषज्ञ विज़िटिंग समिति का गठन यूजीसी की आंतरिक प्रक्रिया थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार डी-नोवो स्थिति की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति और संस्थानों के वास्तविक निरीक्षण हेतु विशेषज्ञ विजिटिंग समिति का गठन किया गया था।

ii. विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन की जांच और आवेदक को अतिरिक्त जानकारी/अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहने का निर्णय यूजीसी विनियम, 2016 के खंड 8.05 के अनुसार था जैसा कि नीचे दिया गया है:

"यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 के खंड 8.05 में प्रावधान है कि यूजीसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रारंभिक जांच करेगा और यदि आवश्यक हो, तो कमियां, यदि कोई हों, को इंगित करते हुए संस्थान को सूचित करेगा, और स्पष्टीकरण /अतिरिक्त जानकारी/अपेक्षित दस्तावेजों हेतु सरकार से संदर्भ प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से 60 दिनों का समय दिया जाएगा।"

iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रस्तावों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक आंतरिक प्रक्रिया है और विशेषज्ञ समितियां अपनी सुविचारित राय में पुन जांच हेतु संशोधित प्रस्ताव और/अथवा अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना मांग सकती हैं।

iv. यूजीसी की पहली विशेषज्ञ समिति ने डी-नोवो पहलू का अवलोकन किया और दो संस्थानों के वास्तविक दौरे की सिफारिश की। दूसरी विशेषज्ञ समिति ने वास्तविक रूप से दौरा किया और पाया कि पहली यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित दो संस्थान डी-नोवो श्रेणी के तहत कवर किए जाने के लिए पात्र थे।

v. प्रस्ताव की यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के अनुसार जांच की गई और आयोग की सिफारिशों को अंतिम निर्णय लेने हेतु शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

vi. यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 एक आवेदक को एक ही आवेदन में कई संस्थानों को शामिल करके समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।

11. और जबकि, यूजीसी के दिनांक 19.11.2022 के पत्र की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार ने यूजीसी की दिनांक 29.05.2020 की सिफारिश को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का निर्णय लिया।

12. अब, इसलिए, यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऑरोरा उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, उप्पल, हैदराबाद जिसमें (i) ऑरोरा प्रोद्यौगिकी और अनुसंधान संस्थान, उप्पल (हैदराबाद) और (ii) ऑरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज, भोंगिर, जिला यादाद्री हैं, को डी-नोवो श्रेणी के तहत पांच साल की अनंतिम अवधि हेतु समवत विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करती है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

i. ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी, उप्पल, हैदराबाद विनियमों की अधिसूचना के दो साल के भीतर यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

ii. ऑरोरा प्रोद्यौगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, उप्पल (हैदराबाद) और ऑरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज, भोंगिर, जिला यादाद्री, हैदराबाद अपने संबद्ध विश्वविद्यालय यानी जवाहरलाल नेहरू प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद की संबद्धता छोड़ देंगे।

iii. इस अधिसूचना के बाद भर्ती हुए छात्रों को ऑरोरा उच्च शिक्षण और अनुसंधान अकादमी, उप्पल, हैदराबाद से डिग्री मिलेगी।

iv. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण और अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद को समवत विश्वविद्यालय का दर्जा पांच साल के बाद संस्थान की शैक्षणिक और कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर और मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोग की सलाह पर दिया जाएगा।

v. इस अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर संपूर्ण चल और अचल संपत्ति कानूनी रूप से 'ऑरोरा उच्च शिक्षण और अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद के नाम पर हस्तांतरित कर दी जाएगी।

vi. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निहित शर्तों का पालन करेगा।

vii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना समवत विश्वविद्यालय/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की संपत्ति या धन/राजस्व का कोई विचलन नहीं होगा।

viii. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की होगी।

ix. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

x. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही विषय पर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस, ऑफ-शोर कैंपस शुरू करेगा।

xi. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवोन्मेषी शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगी। संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास करेगा।

xii. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन हेतु नियत सभी पात्र अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा और संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम 2019 में यथानिहित प्रावधानों के संदर्भ में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

xiii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों के प्रवेश हेतु संख्या, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं प्रभावी रहेंगी और 'ऑरोरा उच्च शिक्षण और अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

xiv. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण और अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन के लिए अपना समझौता ज्ञापन (एमओए) / नियम यूजीसी को प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक होगा, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या उनमें संशोधन या परिवर्तन करेगा।

xv. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद यूजीसी के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xvi. 'ऑरोरा उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी', उप्पल, हैदराबाद इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

विजयालक्ष्मी महादेवन
अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 28th October 2022

No.9/5/2018-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. And whereas, an application was submitted by Aurora Educational Society, Chikkadpally, Hyderabad on 31.01.2019 for grant of Deemed to be University status under de-novo category to Aurora Higher Education and Research Academy, Ramnathpur, Hyderabad consisting of the following 8 Colleges/Institutions under Section 3 of the UGC Act, 1956:

i. Aurora's PG College (MBA), Ramanthapur, Hyderabad;

ii. Aurora's Technological and Research Institute, Uppal, Hyderabad;

iii. Aurora's Engineering College, Bhongir, Yadadri;

iv. Aurora's PG College (MCA), Ramanthapur, Hyderabad;

v. Aurora's PG College (MBA), Moosarambagh, Hyderabad;

vi. Aurora's PG College (MCA), Moosarambagh, Hyderabad;

vii. Aurora's Degree and PG College, Chikkadpally, Hyderabad; and

viii. Aurora's Legal Sciences Institute, Nalgonda

3. And whereas, the said application was forwarded to University Grants Commission (UGC) on 08.03.2019 for examination and advice under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

4. And whereas, UGC constituted an Expert Committee to ascertain whether or not the courses of the institutions are in the emerging area of knowledge and whether or not they are qualifying for the Deemed to be University status under de-novo category. The UGC Expert Committee, after perusal of the documents, recommended that the following (02) institutions are eligible for Deemed to be University status under De-novo category:

i. Aurora's Technological and Research institute, Uppal, Hyderabad - as main campus

ii. Aurora's Engineering College, Bhongir, Yadadri - as an off-campus

5. And whereas, UGC constituted another Committee including nominee of All India Council for Technical Education (AICTE) for on the spot assessment of the above Institutions. The UGC Visiting Committee recommended that the following 3 institutions are eligible for Deemed to be University status under De-novo Category:

i. Aurora's PG College, Ramanathpur, Hyderabad (Central Campus)

ii. Aurora's Technological and Research Institute, Uppal, Hyderabad (Main campus)

iii. Aurora's Engineering College, Bhongir, Dt. Yadadri, Hyderabad HMDA (off Campus)

6. And further whereas, the Commission considered the report of the UGC Expert Visiting Committee, AICTE Expert Committee and AICTE advice in its 547th meeting (item No.2.03) held on 29.05.2020 and decided to recommend to MHRD for Deemed to be University status under de-novo category to only 2 institutions namely (i) Aurora's Technological and Research Institute, Uppal (Hyderabad) and (ii) Aurora's Engineering College, Bhongir, Dt Yadadri (off campus) in the name of Aurora Higher Education and Research Academy. The recommendation is subject to the condition that the Institution shall become compliant with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations within two years of the notification of the Regulations.

7. And whereas, the recommendation of UGC was considered and rejected by the Ministry on 02.03.2022 due to certain shortcomings and procedural inconsistencies in examining the proposal by the UGC Expert Committee.

8. And whereas, the order dated 02.03.2022 of this Ministry was challenged by the Aurora Educational Society & Ors in Hon'ble High Court of Telangana at Hyderabad through WP No. 20862 of 2022. The Hon'ble Court held that ".....Considering that no opportunity of hearing was given to the petitioners before passing adverse orders against them, it is considered fit to suspend the impugned notice dated 02.03.2022, until further orders. Post on 30.06.2022 for filing counter".

9. And further whereas, the Secretary, Aurora Educational Society, Hyderabad vide his letter dated 20.07.2022 made representation for reconsideration of proposal for grant of Deemed to be University status under De-novo Category in the name of 'Aurora Higher Education and Research Academy', Ramnathpur, Hyderabad.

10. And whereas, the representation of Aurora Educational Society, Hyderabad was forwarded to UGC for their specific advice. UGC, vide its letter No.41-2/2019 (CPP-I/DU) dated 19.11.2022, has submitted the following response on the representation of Aurora Educational Society, Hyderabad:

i. The constitution of Expert Committee and Expert Visiting Committee was the internal procedure of the UGC for providing advice to the Central Government. The Expert Committee to examine the de-novo status and the Expert Visiting Committee for the physical inspection of the institutions were formed in accordance with the UGC Regulations.

ii. The examination of the application by the Expert Committee and its decision to ask the applicant to submit the revised proposal with additional information/requisite documents was in accordance with clause 8.05 of the UGC Regulations, 2016 as given below:

"Clause 8.05 of the UGC (Institutions Deemed To Be Universities) Regulations, 2016 provides that the UGC shall make a preliminary scrutiny of the application submitted by the institution and, if necessary, write to the institution pointing out the lacuna(e), if any, and call, normally within 60 days for receipt of reference from Government, for clarification/additional information/ requisite documents".

iii. The examination of proposals by the Expert Committees of UGC is an internal process of UGC and the Expert Committees in their considered opinion may ask for revised proposals and/or additional documents/information for re-examination.

iv. The first UGC Expert Committee looked at the de-novo aspect and recommended a physical visit to two institutions. The second Expert Committee physically visited and found that the two institutions recommended by the first UGC Expert Committee were eligible to be covered under de-novo category.

v. The proposal was examined as per UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and the recommendations of the Commission were forwarded to the Ministry of Education for taking final decision.

vi. The UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 does not bar an applicant to apply for Deemed to be University status by including multiple institutions in the same application.

11. And whereas, considering the response of UGC's vide letter dated 19.11.2022, the Central Government decided to accept the recommendation dated 29.05.2020 of UGC in toto.

12. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby declares Aurora Higher Education and Research Academy, Uppal, Hyderabad consisting of (i) Aurora's Technological and Research Institute, Uppal (Hyderabad) and (ii) Aurora's Engineering College, Bhongir, Dt Yadadri, as an Institution Deemed to be University under De-novo Category for a provisional period of five years. The said declaration is subject to the following conditions:

i. Aurora Higher Education and Research Academy, Uppal, Hyderabad shall become compliant with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 within two years of the notification of the Regulations."

ii. Aurora's Technological and Research Institute, Uppal (Hyderabad) and Aurora's Engineering College, Bhongir, Dt Yadadri, Hyderabad shall disaffiliate themselves from their affiliating University i.e. Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad.

iii. The students admitted after this Notification will get Degree from the Aurora Higher Education and Research Academy, Uppal, Hyderabad.

iv. The Deemed to be University status of 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall be confirmed after five years based on their academic and performance report of the Institution and on the advice of the Commission, as per the provisions of the prevailing Regulations.

v. The entire moveable & immoveable assets will be legally transferred in the name of 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad within one year of this Notification.

vi. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall adhere to the conditions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

vii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.

viii. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

ix. The academic programmes to be offered at 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

x. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

xi. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but it make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.

xii. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

xiii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad.

xiv. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall submit its Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC for approval as per the provisions of the existing Regulations. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

xv. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC.

xvi. 'Aurora Higher Education and Research Academy', Uppal, Hyderabad shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

VIJAYALAKSHMI MAHADEVAN
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR
Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR
Date: 2022.11.05 10:53:27 +05'30'